# कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in


पत्र संख्या- 312/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 11.08.2026

## *प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक–11.08.2026*
## *थाना–कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़*

➡️ ***भंवरनाथ मंदिर में श्रद्धालु की चैन चोरी करते रंगे हाथ पकड़ी गई अंतर्जनपदीय महिला चोर गिरफ्तार***

➡️ ***गिरफ्तार अभियुक्ता के कब्जे से चोरी की पीली धातु की चैन बरामद; अभियुक्ता के विरुद्ध आजमगढ़ व मऊ जनपद में चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत***

***घटना का विवरण–***

दिनांक 11.08.2026 को वादी मुकदमा राजेश यादव पुत्र छोटेलाल यादव, निवासी ग्राम मातनपुर, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़, अपनी पत्नी मनोरमा देवी के साथ बाबा भंवरनाथ मंदिर में दर्शन हेतु जा रहे थे। इसी दौरान एक महिला द्वारा वादी की पत्नी के गले से चैन काटने का प्रयास किया गया। महिला को वादी की पत्नी एवं मौके पर मौजूद अन्य श्रद्धालु महिलाओं द्वारा पकड़ लिया गया तथा उसके कब्जे से चोरी की गई चैन बरामद कर ली गई।
मामले में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0 198/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना उ0नि0 नरेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा की जा रही है।

***गिरफ्तारी का विवरण–***

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में दिनांक 11.08.2026 को व0उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय महिला आरक्षी अनीता गुप्ता द्वारा अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्ता *खुशबू पत्नी रितेश उर्फ दीपक, निवासी ग्राम संसार पट्टी, थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर, उम्र करीब 20 वर्ष* को बाबा भंवरनाथ मंदिर परिसर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता को चोरी करते हुए मौके पर रंगे हाथ पकड़ा गया था। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

***गिरफ्तार अभियुक्ता–***

खुशबू पत्नी रितेश उर्फ दीपक, निवासी ग्राम संसार पट्टी, थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर, उम्र करीब 20 वर्ष।

***बरामदगी–***

01 अदद पीली धातु की चैन, कीमत करीब ₹1,000/-

***पंजीकृत अभियोग–***

मु0अ0सं0 198/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।

***आपराधिक इतिहास–***

1. मु0अ0सं0 198/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 81/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद मऊ।

***गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–***

व0उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह एवं महिला आरक्षी अनीता गुप्ता, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़।

**प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक–11.08.2026**
**थाना–बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़**

**➡️ अवैध असलहों के विरुद्ध बिलरियागंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 02 अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार**

**➡️ गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा .315 बोर एवं 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद**

**➡️ अभियुक्त मोहम्मद तारिक के विरुद्ध एनडीपीएस, आबकारी एवं आर्म्स एक्ट सहित 03 अभियोग पूर्व से पंजीकृत**

***गिरफ्तारी का विवरण–***

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों तथा वांछित/गो-तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 11.08.2026 को उ0नि0 इसरार अहमद खान मय हमराह तथा उ0नि0 प्यारे राम मय हमराह को सूचना प्राप्त हुई कि बिन्दवल से लोहसरवा मार्ग की ओर दो व्यक्ति पैदल आ रहे हैं, जिनके पास अवैध असलहे हैं।
इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा लोहसरवा मोड़ के पास घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग शुरू की गई। कुछ समय बाद बिन्दवल की ओर से दो व्यक्ति पैदल आते दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा टॉर्च की रोशनी में दोनों को रुकने का इशारा किया गया तो दोनों व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर पीछे मुड़कर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा दोनों व्यक्तियों को घेरकर पकड़ लिया गया। जिनकी तलाशी लेने पर दोनों के कब्जे से एक-एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ। दोनों अभियुक्तों को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध से अवगत कराते हुए दिनांक 11.08.2026 को समय करीब 02:39 बजे भोर में लोहसरवा मोड़ के पास गिरफ्तार किया गया। बरामद अवैध असलहों को नियमानुसार सील कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

***गिरफ्तार अभियुक्त–***

1. मोहम्मद तारिक पुत्र कुद्दुश, निवासी बिन्दवल, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
2. शहनवाज उर्फ शेरु पुत्र मोहम्मद अहमद, निवासी खानकाह, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

***बरामदगी–***

02 अदद अवैध तमंचा .315 बोर एवं 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।

***पंजीकृत अभियोग–***

मु0अ0सं0 212/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

***आपराधिक इतिहास–***

*मोहम्मद तारिक पुत्र कुद्दुश,* निवासी बिन्दवल, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

1. मु0अ0सं0 205/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 83/2025 धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 98/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

***गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–***

थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा, उ0नि0 इसरार अहमद खान, उ0नि0 प्यारे राम, का0 छट्ठू साहनी, का0 हृदेश कुमार गुप्ता, का0 राकेश कुमार वर्मा एवं का0 रामबाबू यादव, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

***प्रेस विज्ञप्ति दिनांक–11.08.2026***
***थाना–अतरौलिया, जनपद आजमगढ़***

***➡️ जमीनी/पेड़ काटने के विवाद में मारपीट, जानलेवा हमला, घर में घुसकर तोड़फोड़ व जान से मारने की धमकी देने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार***

***➡️ थाना अतरौलिया पुलिस ने मुकदमे में वांछित अभियुक्त नीरजकान्त उर्फ पिन्टू को किया गिरफ्तार; कब्जे से घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा बरामद***

***घटना का विवरण–***
दिनांक 28.06.2026 को वादी मुकदमा दूधनाथ पुत्र स्व0 ठाकुरदीन, निवासी मण्डोही, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि उनके पुत्र अर्श यादव को विपक्षीगण द्वारा रास्ते में घेरकर जमीन/पेड़ काटने के विवाद को लेकर गाली-गलौज करते हुए मारपीट की गई तथा बीच-बचाव करने आयी उनकी पुत्री पर भी जान से मारने की नीयत से जानलेवा हमला किया गया। इसके अतिरिक्त घर में घुसकर तोड़फोड़ एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया। तहरीर के आधार पर थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 0259/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/109(1)/333/324(4)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

***गिरफ्तारी का विवरण–***
दिनांक 10.08.2026 को व0उ0नि0 पवन कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु तलाश की जा रही थी। मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त *नीरजकान्त उर्फ पिन्टू पुत्र राजमन, निवासी मण्डोही, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 33 वर्ष* को ग्राम सुखीपुर अंडरपास के पास से दिनांक 10.08.2026 को समय करीब 22:15 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।

***गिरफ्तार अभियुक्त–***
नीरजकान्त उर्फ पिन्टू पुत्र राजमन, निवासी मण्डोही, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 33 वर्ष।

***बरामदगी–***
01 अदद बांस का डंडा।

***पंजीकृत अभियोग–***
मु0अ0सं0 0259/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/109(1)/333/324(4)/3(5) बीएनएस, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

***गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–***
व0उ0नि0 पवन कुमार सिंह, उ0नि0 अखिलेश सिंह, का0 सौरभ राय, रि0का0 गोलू कुमार एवं रि0का0 अमन तिवारी, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

## प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक–11.08.2026
## थाना–कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़

***➡️ फर्जी व्यक्ति खड़ा कर जमीन का फर्जी बैनामा कराने वाले आपराधिक षड्यंत्र का खुलासा, 02 अभियुक्त गिरफ्तार***

***➡️ ₹3.50 लाख की रकम लेकर फर्जी गोविन्द को खड़ा कर कराया गया बैनामा; विवेचना में प्रकाश में आए 02 अभियुक्तों को कप्तानगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार***

***घटना का विवरण–***

दिनांक 02.08.2026 को वादिनी मुकदमा, निवासी हूँसेपुर सनूप, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा तहरीर दी गई कि उनके जेठ संजय सिंह से ग्राम मादेपुर थाना अतरौलिया, निवासी गोविन्द पुत्र झूरी की पत्नी एवं प्रेमा पत्नी रोहित द्वारा अपनी भूमि गाटा संख्या 746, रकबा 0.417 हे0 को बच्चे के इलाज एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु विक्रय करने की बात कही गई तथा धनराशि की अत्यन्त आवश्यकता बताई गई।
उक्त भूमि के विक्रय के लिए तय रकम ₹3,50,000/- गोविन्द पुत्र झूरी के खाते में जमा कराई गई तथा कुछ धनराशि नगद भी दी गई। बैनामा कराने के लिए कहने पर आरोपियों द्वारा 03 दिन का समय लिया गया। इसके बाद बैनामा के समय वास्तविक गोविन्द के स्थान पर एक फर्जी व्यक्ति को लाकर उसकी फोटो लगवाकर बैनामा करा दिया गया। बैनामा प्रक्रिया के दौरान आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नम्बर, ओटीपी सहित आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कराई गई तथा बैनामा तहरीर कराया गया।
बाद में वादिनी को जानकारी हुई कि गोविन्द पुत्र झूरी, उसकी पत्नी एवं प्रेमा पत्नी रोहित द्वारा आपराधिक षड्यंत्र के तहत वास्तविक गोविन्द के स्थान पर फर्जी व्यक्ति को खड़ा कराकर फर्जी बैनामा कराया गया है। प्रकरण में थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 248/2026 धारा 318(4), 319(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
विवेचना के दौरान अभियुक्त *सत्यम विश्वकर्मा पुत्र विश्वकर्मा, निवासी खोजापुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़* का नाम प्रकाश में आया।

***गिरफ्तारी का विवरण–***

दिनांक 11.08.2026 को उ0नि0 रमेश चन्द्र सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण *प्रेमा पत्नी रोहित, निवासी ग्राम मादेपुर, तहसील बूढ़नपुर, जनपद आजमगढ़* एवं *सत्यम विश्वकर्मा पुत्र विश्वकर्मा, निवासी खोजापुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़* को बूढ़नपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

***गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–***

1. प्रेमा पत्नी रोहित, निवासी ग्राम मादेपुर, तहसील बूढ़नपुर, जनपद आजमगढ़।
2. सत्यम विश्वकर्मा पुत्र विश्वकर्मा, निवासी खोजापुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

***पंजीकृत अभियोग–***

मु0अ0सं0 248/2026 धारा 318(4), 319(2) बीएनएस, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।

***गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–***

उ0नि0 रमेश चन्द्र सिंह, म0का0 बबीता पासवान एवं कां0 बृजेश गौड़, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।

## *प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक–11.08.2026*
## *थाना–कोतवाली, जनपद आजमगढ़*

***➡️ अंतर्जनपदीय नकल माफिया गिरोह का खुलासा, UPSSSC प्राविधिक मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी को नकल कराने की साजिश में शामिल 01 अभियुक्त गिरफ्तार***

***➡️ ₹06 लाख में अभ्यर्थी को परीक्षा में पास कराने की थी डील, हियरिंग डिवाइस व ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल कराने की थी तैयारी***

***➡️ अंतर्जनपदीय नकल माफिया गिरोह से जुड़े अभियुक्त के विरुद्ध आजमगढ़ एवं वाराणसी जनपद में अभियोग पंजीकृत; कब्जे से मोबाइल फोन बरामद***

***घटना/पूर्व विवरण–***

दिनांक 09.08.2026 को शिब्ली नेशनल इण्टर कॉलेज, आजमगढ़ में UPSSSC प्राविधिक मुख्य परीक्षा आयोजित की जा रही थी। परीक्षा के दौरान ब्लॉक-A के कक्ष में परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी *आलोक पटेल पुत्र वंशराज पटेल, निवासी ग्राम भड़ाव, थाना जंसा, जनपद वाराणसी, उम्र करीब 24 वर्ष* की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होने पर कक्ष निरीक्षकों द्वारा उसकी जांच की गई।

जांच के दौरान उक्त अभ्यर्थी के कान के अन्दर से *01 हियरिंग डिवाइस* तथा अण्डरवियर के अन्दर से *01 ब्लूटूथ डिवाइस, जिसमें सिम कार्ड लगा हुआ था एवं 02 सेल बैटरी* बरामद हुई। बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संबंध में पूछताछ करने पर अभ्यर्थी द्वारा बताया गया कि उसे परीक्षा में बाहर से प्रश्नों के उत्तर बताकर पास कराने के उद्देश्य से उक्त डिवाइस उपलब्ध कराई गई थी।

उक्त घटना के संबंध में थाना कोतवाली पर ***मु0अ0सं0 414/2026 धारा 319(2), 318(4), 61(2) बीएनएस, धारा 8, 11(6), 13(5) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश-2024 एवं धारा 66डी आईटी एक्ट-2008*** के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त आलोक पटेल को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

***गिरफ्तारी/घटना के अनावरण का विवरण–***

प्रकरण की विवेचना के दौरान नकल कराने वाले गिरोह से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका प्रकाश में आई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

इसी क्रम में दिनांक 11.08.2026 को उ0नि0 अभिषेक कुमार मिश्रा, उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आए अभियुक्त *वीरेन्द्र कुमार राय उर्फ बाबू पुत्र स्व0 तारसनाथ, निवासी कुरौना सरौनी, थाना जंसा, जनपद वाराणसी, उम्र करीब 31 वर्ष* को प्राइवेट बस अड्डा, आजमगढ़ से समय करीब 12:30 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से *01 अदद मोबाइल फोन वीवो* बरामद हुआ। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

***पूछताछ का विवरण–***

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसके मित्र *आनंद पटेल* एवं *कुश पटेल*, निवासीगण जनपद वाराणसी के साथ मिलकर परीक्षा में अभ्यर्थियों को पास कराने की व्यवस्था करने वाले व्यक्तियों से सम्पर्क किया गया था। अभियुक्त के अनुसार UPSSSC प्राविधिक मुख्य परीक्षा में आलोक पटेल को पास कराने के लिए *₹06 लाख* में सौदा तय हुआ था। परीक्षा में नकल कराने के लिए आलोक पटेल को एक हियरिंग/ईयर डिवाइस तथा एक ब्लूटूथ डिवाइस उपलब्ध कराई गई थी। उक्त उपकरणों के प्रयोग की विधि भी बताई गई थी। डिवाइस उपलब्ध कराने के एवज में *₹15,000/- एडवांस* धनराशि लिए जाने की बात भी अभियुक्त द्वारा बताई गई।

अभियुक्त के अनुसार परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से अभ्यर्थी को बाहर से प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराने की योजना थी। परीक्षा के दौरान आलोक पटेल के पकड़े जाने के बाद गिरोह के अन्य सदस्यों की भूमिका भी विवेचना में प्रकाश में आई है।

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताए गए तथ्यों एवं अन्य प्रकाश में आए व्यक्तियों के संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

***गिरफ्तार अभियुक्त***–

वीरेन्द्र कुमार राय उर्फ बाबू पुत्र स्व0 तारसनाथ, निवासी कुरौना सरौनी, थाना जंसा, जनपद वाराणसी, उम्र करीब 31 वर्ष।

***बरामदगी***–

01 अदद मोबाइल फोन वीवो।

***पंजीकृत अभियोग***–

**मु0अ0सं0 414/2026 धारा 319(2), 318(4), 61(2) बीएनएस, धारा 8, 11(6), 13(5) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश-2024 एवं धारा 66डी आईटी एक्ट-2008, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।**

***आपराधिक इतिहास***–

1. *मु0अ0सं0 190/2021* धारा 323/504/506 भादवि, थाना फूलपुर, जनपद वाराणसी।
2. *मु0अ0सं0 414/2026* धारा 319(2), 318(4), 61(2) बीएनएस, धारा 8, 11(6), 13(5) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश-2024 एवं धारा 66डी आईटी एक्ट-2008, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

***गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम***–

उ0नि0 अभिषेक कुमार मिश्रा, उ0नि0 राजेन्द्र कुमार, रि0का0 अवधेश सिंह, रि0का0 उत्सव प्रताप सिंह, रि0का0 आकाश गुप्ता एवं रि0का0 ऋषिकेश यादव, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।